वित्तीय स्वीकृति

संख्य -40/2015/भा0स0 82/52-3-15-बजट(16)/2015

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 □□□□

□□ में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□ □

अल्पसंख्यक कल्याण □□वक्फ □□□□-3, □□□□ दिनांक 14 □□,2015

विषयः- केन्द्र □□□□□□□ □□□□/□□□□ शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत □□□ □□□□ द्वारा स्वीकृत □□□□ अवमुक्त किये □□□□□□□ में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक □□□ □□□□ विकास मंत्रालय □□□ □□□□ □पत्र □0-□□-8-43/2014-□□, 19 दिनांक 02-06-2015 □□ संदर्भ में □□□□ □□□□□ □□□□ □□ कि □□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत □□□ □□□□ विकास मंत्रालयए □□□ □□□□ द्वारा 1446 मदरसों की □□ □□सापेक्ष 1405 मदरसों में कार्यरत □ □□□□ विषयों □□शिक्षकों □□वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □□□□ □□□ पूर्व में स्वीकृत की □□ □□□□□ की □□□ □□□□□ रू0 78,84,000/- अवमुक्त की □□ □□

2- □□□वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रांश □□रूप में रू0 02,44,71,24,000/- □□ □□ व्ययक प्राविधान हैं। जिसके सापेक्ष □□□ वित्तीय वर्ष में रू0 36,01,57,000/- की □□□□□ अवमुक्त की □□ चुकी □□ □□ रू0 02,08,69,6,000/-की □□□□□ □□□□ □□ उक्त □□□□ □□□□□ □□सापेक्ष □□□ □□□□ विकास मंत्रालय □□□ □□□□ द्वारा □□रोक्त □□□□□□ द्वारा अवमुक्त की □□ □□□□□ रू0 78,84,000/- (रू0 अठत्तर □□ □□□□ □□□ मात्र) निम्नंकित

http://shasanadesh.up.nic.in

शर्तो/प्रतिबन्धों □□ □□□□ अवमुक्त □□ □ □□□□ निर्वतन प□□ □□□□□□□□की श्री राज्यपाल □□□□□ सहर्ष □□□□□ प्रदान □□□□□□।

(1) राज्य □□□□□ द्वारा □□□□□□□ □□ □□□/□□□□□ दिये □□□□□□□□□□□□□ शिक्षकों □□ विवरण विभागीय □□□□□□ □□ दिनांक 31-12-2015 □□ उपलब्ध □□□□□ □□□□ सुनिश्चित किया □□□ए ताकि □□□□ □□□□□ □□प्राप्त □□□□□ □□□□□□□/□□□ □□ में □□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□पारदर्शिता □□□ □□□।

(2) उक्त स्वीकृत □□□□□□ □□ व्यय/□□□□□ □□ □□□ में □□□□ □□□□□ द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों ए□□□□□-□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□राज्य □□□□□ द्वारा निर्गत स□□□ शासनादेशों □□ अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति क□□□□□□□किया □□□□□।

(3) उक्त स्वीकृति □□ शर्त □□ □□□□ □□कि मदरसों □□ अस्तित्व □□ □□□ में पूरी □□□ □□आश्वस्त □□□□□□□ □□□□□ विषयों (हिन्दी,□ग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) □□ शिक्षण कार्य □□□□□□□□शिक्षकों □□ अध्यापन की पुष्टि □□□□□□ पश्चात ही □□□□□ □□□□ की □□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ कि लाभान्वित □□□□□ □□□□ □□□□□ द्वारा □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत निर्गत ग□□□ □□□□ की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों □□ पूर्ण □□□□ □□□ यदि किसी मदरसें में □□□□□□□ □□□□□ किया □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/ □□□□ वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप □□पूर्णतया उत्तरदायी होंगे □□□ □□□□□□□ रूप □□□□□□□ की □□□ □□□□□□ की □□□□ □□□□□□□□□ □□□□सुनिश्चित की □□□□□।

,(4) □□□□□ □□□अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों □□ □□ व्यक्तिगत दायित्व □□□□ कि □□ स्वीकृत □□□□□□ □□ दिशा-निर्देशो □□ □□□□□ □□□□□□ सुनिश्चित करेगें। किसी □□ □□□ में अस्तित्वहीन □□□□□□□□ अस्तित्वहीन शिक्षक □□ □□□□□□ वितरित □ □□, वितरण □□□ सुनिश्चित किया □□□□□ □□ वास्तव में उपस्थित □□ □□ मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित □□□□□ □□□ हों। वितरण पारदर्शी तरीके □□□□□□ □□□ व्यय □□ पूर्ण □□□-□□□□ □ □□□□□ सुरक्षित □□□□□ □□ दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण

http://sharanadesh.up.nic.in

अधिकारियों द्व□ □ि□□ि प्रश्नगत □ि□□□ की □□□ि□□ □ि □□□ि□ प्रमाण पत्र अविलम्ब उ□ि□□ □ि पे्रषित किया □ि□□ि□ए □ि □□□ि□□ व्यय नही □ि □□□□ उसकी जानकारी विवरण सहित □ि□□ □ि उपलब्ध □ि□ि□ □ि□□ि□□

(5) योजनान्तर्गत कार्यरत □ □□ि□□ विषयों □□ शिक्षकों □ि प्रश्नगत □□ि□ □□ □ि□□ि□ □□□□□ि□ □□पूर्व □□ सुनिश्चित □□ □ि□□ □ि□□□ कि पूर्व में □□ □□ि□ □□□ि□□□□ □ि □□□ि□ □ि□□□ शिक्षक □ि नही किया □□ि □□

(6) उक्त स्वीकृत □□□ि□□ □□ सापेक्ष □□□ि□ योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों □□ □ि□□□ □ि ही □□□ि□ किया □ि□□ि□ किसी □ि □□ि में □□ □□□ि□ किसी अन्य प्रयोजनार्थ व्यय नहीं की □ि□□ि□

(7) □□ □□□ि□ □□शिक्षकों □ि □□ि □□ि□ □□ □ि□□□ □ि □□□ि□ किया □ि□□ि जिस □□ि□ □□ि□ □□□ि□ □ि□□ □□□ि□ द्वारा स्वीकृत की □□ि □□

(8) स्वीकृत □□□ि□□ □ि □□□ि□□□ प्रमाण पत्र □□ □ि□ □□अन्दर □ि□□ □ि उपलब्ध □ि□□ि□ □ि□□ि□

3- उक्त □□ □ि□□□ि□□ व्यय □ि□□वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□-व्ययक □□ □□□ि□ संख्य-48 □□ अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय □ □ि□□ि□□/केन्द्र द्वारा □□ि□□ि□□ योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में □□□ □ि□□ि मदरसों □ि आधुनिकीकरण (□0100/0□0-□0)-20-□□ि□□ि □□□ि□-सामान्य (□□ □□□) □□ □ि□□ि□□ि□ □ि□□ि□

4- □□ि□□ □□ वित्त विभाग □□कार्यालय ज्ञाप संख्य-2/2015/□□-1-925/□□-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 में प्रद निर्देशों के □□ि□ निर्गत किये □□ □□ि□□

भवदीय,

(□□ प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त □ि□□

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्य -□□0□0 82/52-3-15 तददिनांक □

प्रतिलिपि-निम्नलिखित □□ सूचनार्थ □□□आवश्यक कार्यवाही □□□प्रेषित:-

1- संयुक्त □□□□□(□□0□□0) □□□□ □□□□□ विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा □□□ साक्षरत विभाग) □□□□ □□□□□, शास्त्री □□□ □□□ दिल्ली।

2- □□□□□□□□□ (□□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय □0प्र0, □□□□□□□□□

3- □□□□□□□□□ (□□□ □□□हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□□

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, □□□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा □□□ थार्न हिल □□, □□□□□□□□

5- कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त □□□लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □0प्र0 □□□□□

6- □□□□, माध्यमिक शिक्षा □□□□□□□ शिक्षा विभाग □0प्र0 □□□□□

7- □□□□□ उर्दू/प्राच्य भाषायें/□□□□ शिक्षा विभाग, □0प्र0 □□□□□

8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, □0प्र0 □□□□ □

9- रजिस्ट्रार, □0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□ □

10- वित्त (□-11) □□□□□/वित्त (□□-व्ययक) □□□□-1/02 प्रतियों में)/□□□□□ □□□□-3 □□□□□ □□□□□

11- कम्प्यूटर □ □□□□, अल्पसंख्यक कल्या□ □□0-3 □□ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

12- गार्ड □□□□

आज्ञ □□

(□□ प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त □□□

http://shasanadesh.up.nic.in